

पत्र संख्या— **HPFD-F05/19/2024-FCA**
वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, िवालिखण्ड,लॉंगबुड,
भिमला, हिमाचल प्रदेश—1710001

दिनांक िमला—1

विषय: **Diversion of 19.5896 Ha. Forest land for Rehabilitation and Upgradation to Two lanes with paved shoulder configuration & Strengthening of Padhar to Bijni (Package-VA) from Km 180.00 to Km 202.815 (Design Length 19.050 km) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi Section in the state of Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/154466/2022).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 22/12/2023 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विषयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

शर्तें	उत्तर
A. वे भार्ते जिनकाराज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है:- पप प्रयोत्का एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए।	प्रयोत्का एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राि जमा करावा ली है।
पपप राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ाों की अनुपालना सुनिि चत करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ाों की अनुपालना सुनिि चत करेंगी। बचन बद्धता संलग्न हैं ।
पपपप WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 19. 5896 हेक्टेयर की नेट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 19. 5896 हेक्टेयर की नेट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
पपपप प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई ळें
अप पूण्ज अनुपालन रिपोर्ट e-portal	पूण्ज अनुपालन रिपोर्ट e-portal

(https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाए।	(https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की गई।
अपप प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक गुल्क (सीए लागत, वन एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। टनय माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहि किया जाएगा ।	प्रतिपूरक गुल्क (सीए लागत, वन एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए गए हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं।
अपपप प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभाग में कोई टनय प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की ताता के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं हैं इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है” प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा ।	इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है” प्रयोक्ता अभिकरणर द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं
अपपपप FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।
पगप वन मण्डलाधिकारी यह लिखित आश्वासन देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मण्डलाधिकारी यह लिखित आश्वासन दिया गया है कि प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
B. वे भातें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कड़ाई से पालन करने की आव यकता है, परन्तु अडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-11 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है। 1^प वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी। 2^प काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यदि muck dumping site प्रस्ताव में सम्मिलित है, तो वहां कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3^प राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 40 है0 के पौधरोपण का कार्य 10 है0 Thanda Magroo-I/II, Block-Padhar, Forest Range-Drang, 5 ha-Sushang, 10 ha-Tung, Block-Rehardhr, Forest Range-Mandi, 5ha-Bandhi,BlockPiun, forest Range-Panarsa 5 ha-Baja,Block-Aut, Forest Range-Panarsa, 5 ha-Sihnal, Block-Rehardhar, Forest Range-Mandi), Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 40 है0 के पौधरोपण का कार्य 10 है0 Thanda Magroo-I/II, Block-Padhar, Forest Range-Drang, 5 ha-Sushang, 10 ha-Tung, Block-Rehardhr, Forest Range-Mandi, 5ha- Bandhi,BlockPiun, forest Range-Panarsa 5 ha-Baja,Block-Aut, Forest Range-Panarsa, 5 ha-Sihnal, Block-Rehardhar, Forest Range-Mandi), Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी

	प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
4 ^प प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य सरकार के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, IFA, 1927 के अर्न्तगत RF/PF की श्रेणी में आती है।
5 ^प राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्धता संलग्न है।
6 ^प वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
7 ^प माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
8 ^प State Government shall comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others.	State Government will comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others.
9 ^प State Govt shall submit the plantation model mentioning the site specific plant species and ensure to plant species which have capacity of the absorptions of CO2 and other pollutants to be planted along the PRoW as per guidelines of MoEF & CC vide letter no.FC-11/39/2020-FC dated 08.09.2021.	The plantation model mentioning the site specific plant species and ensure to plant species which have capacity of the absorptions of CO2 and other pollutants to be planted along the PRoW as per guidelines of MoEF & CC vide letter no.FC-11/39/2020-FC dated 08.09.2021 is attached with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
10 ^प User Agency shall establish the entire infrastructure of Nursery of amounting 21, 73,126/- as calculated by RFO, Forest Range Drang.	The user agency has report that an amount of Rs. 2173126 is deposited in Shape of DD to DFO concerned.
11 ^प User agency shall ensure mitigation measure/ plan intended to prevent the depletion/extinction of water resources i.e.Natural spring/Bawari etc as submitted to this office.Also, expenditure submitted shall be realized from the User agency other then the SMC plan.	The user agency has deposited an amount of Rs. 5299000/- towards the cost of Mitigation Measure/Plan intended to prevent the depletion/extinction of water resources i.e.Natural spring/Bawari etc as
12 ^प Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall	The user agency has deposited the cost of SMCP in Ad-hoc CAMPA account.

be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect shall be submitted.	
13 ^ण एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 ^ण स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 ^ण केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 ^ण वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 ^ण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18 ^ण परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19 ^ण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20 ^ण प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परि संरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परि संरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
21 ^ण स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
22 ^ण संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
23 ^ण प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

24 ^ण यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
25 ^ण परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
26 ^ण इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
27 ^ण अन्य कोई भी ' शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
28 ^ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
29 ^ण इनमें से किसी भी 'शर्त का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०